खबर संक्षेप

तपती धूप में परिंदों को छांव और प्यास को सहारा

शहडोल। भीषण गर्मी के बीच जब पारा आसमान छू रहा है, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेवा की मशाल थाम ली है। परिषद के विकासार्थ विद्यार्थी और सेवार्थ विद्यार्थी आयामों के तहत जिले भर में मानवता की मिसाल पेश करते हुए सकोरा अभियान और जल मंदिर का शंखनाद किया गया।

20 स्थानों पर बुझेगी प्यास

परिषद के कार्यकर्ताओं ने केवल भाषण नहीं, बल्कि धरातल पर काम करते हुए पूरे जिले में 200 से अधिक सकोरे बांधे। एसएफडी के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों और पेड़ों पर दाना-पानी का इंतजाम कर पक्षियों को जीवनदान देने की पहल की गई। वहीं, राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए जिले के 20 प्रमुख केंद्रों पर जल मंदिर स्थापित किए गए। परिषद ने स्पष्ट संदेश दिया कि इस भीषण गर्मी में कोई भी प्यासा न रहे, चाहे वह इंसान हो या बेजुबान पक्षी।

घरों को बनाएं सेवा का केंद्र

इस अभियान के दौरान विभाग संगठन मंत्री सावन सिंह और विभाग संयोजक अखिलेश सिंह ने हुंकार भरते हुए कहा कि यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जगाने का प्रयास है। उन्होंने आह्वान किया कि हर नागरिक अपने घर और कार्यालय के बाहर एक सकोरा जरूर लगाए। इस सेवा संकल्प में विभाग छात्रा प्रमुख अंजली पांडे, जिला संयोजक अमन त्रिपाठी, निधि पांडेय, आकाश मिश्रा, प्रिया सिंह, भूमिका द्विवेदी, ओम सोनी, गोकुल पटेल सहित भारी संख्या में कैंपस के छात्र और ऊर्जावान कार्यकर्ता सक्रिय रहे। परिषद की इस पहल की पूरे जिले में सराहना हो रही है।

अवैध कोयला परिवहन करते वाहन धराया

शहडोल। खनिज माफिया के खिलाफ विभाग ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमले ने बुधवार रात सोहागपुर के चापा में कोयले के अवैध परिवहन को बेनकाब किया। शातिर माफिया ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए बिना नंबर वाले ट्रैक्टर में कोयला भरकर उसे पराली (पुआल) से ढका था, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान ड्राइवर ने फिल्मी अंदाज में ट्रैक्टर भगाने की कोशिश की, मगर अमले के पीछा करने पर वह वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। खनिज निरीक्षक अभिषेक पटले की टीम ने अवैध कोयले सहित ट्रैक्टर जब्त कर सोहागपुर थाने में खड़ा कराया है। अब फरार मालिक की कुंडली खंगाली जा रही है। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है।

शहडोल के फुटबॉल को पंख लगाने की तैयारी

शहडोल। जिले की खेल प्रतिभाओं को वैश्विक पटल पर चमकाने और फुटबॉल के भविष्य को नई दिशा देने के लिए जिला फुटबॉल संघ (डीएफए) ने अपनी कमर कस ली है। पैराडाइज होटल में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने जहां अपनी अब तक की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, वहीं आगामी आयोजनों को लेकर जीत का खाका भी खींचा। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद जकरिया ने की, जिसमें जिले के खेल जगत की तमाम दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं।

राष्ट्रीय फलक पर चमका शहडोल

बैठक में कोषाध्यक्ष अनिल सिंह ने संघ की शानदार प्रगति का ब्योरा देते हुए बताया कि जिले के लिए गर्व का विषय है कि यहाँ की 10 से अधिक बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। असम और नागालैंड जैसे राज्यों में आयोजित प्रतियोगिताओं में शहडोल की धमक सुनाई दी। यही नहीं, जिले में अब प्रशिक्षित रेफरी और फुटबॉल प्रशिक्षकों की एक नई खेद तैयार हो चुकी है, जो आने वाले समय में यहाँ की फुटबॉल नर्सरी को और भी समृद्ध करेगी।

बनेगा विशेष आपातकालीन कोष

सचिव रईस अहमद ने बैठक में एक कड़वी सच्चाई भी उजागर की। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण इंदौर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को भेजने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

एसईसीएल बंगवार खदान हादसा

मौत के बाद 'सबूत मिटाने' का खेल

बीके. जेना और संजय सिंह पर उठे गंभीर सवाल

प्रबंधन की भूमिका संदिग्ध, अनाधिकृत मजदूर की एंट्री पर भी सवाल

एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र की बंगवार खदान में मजदूर की मौत अब केवल हादसा नहीं रह गई है, बल्कि प्रबंधन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्य महाप्रबंधक बी.के. जेना और उप क्षेत्रीय प्रबंधक संजय सिंह पर सबूत छुपाने, जिम्मेदारी से बचने और पूरे मामले को ठेकेदार पर थोपने के आरोप लग रहे हैं।

शहडोल।

जिले के एसईसीएल सोहागपुर एरिया अंतर्गत बंगवार भूमिगत खदान में हुई मजदूर की मौत ने अब एक बड़ा विवाद का रूप ले लिया है। जहां एक ओर यह मामला सुरक्षा में लापरवाही का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर घटना के बाद प्रबंधन की कार्यशैली ने इसे और गंभीर बना दिया है। पूरे घटनाक्रम में मुख्य महाप्रबंधक बी.के. जेना और गंगवार क्षेत्र के उप क्षेत्रीय प्रबंधक संजय सिंह की भूमिका पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना में ग्राम डोंगरा टोला निवासी 43 वर्षीय मोहे लाल सिंह की मौत हुई, जो मेंटेनेंस कार्य के दौरान बिजली के पोल से गिर गए थे। सवाल यह है कि आखिर बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के उन्हें इतनी ऊंचाई पर काम करने के लिए क्यों भेजा गया और उससे भी बड़ा सवाल—क्या यह एक सामान्य हादसा था या इसके पीछे व्यवस्थागत लापरवाही छिपी है?

सबसे चौंकाने वाला पहलू घटना के बाद सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जिस सीढ़ी के सहारे मजदूर पोल पर चढ़ा था, उसे घटना के तुरंत बाद मौके से हटा दिया गया। यह वही सीढ़ी थी जो हादसे के महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम आ सकती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सीढ़ी क्यों हटाई गई? क्या यह साक्ष्यों को छुपाने का प्रयास था? सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो भी इस बात की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं कि घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ की गई। आरोप है कि यह सब कुछ अधिकारियों के निर्देश पर हुआ। विशेष रूप से उप क्षेत्रीय प्रबंधक संजय सिंह और मुख्य महाप्रबंधक बी.के. जेना के नाम सामने आने से मामला और गंभीर हो गया है।

इसी के साथ एक और बड़ा विरोधाभास सामने आया है। एसईसीएल प्रबंधन ने धनपुरी थाने को दिए पत्र में स्पष्ट किया कि विद्युत मेंटेनेंस का कार्य ठेकेदार अजहर इंटरप्राइजेजको सौंपा गया था और पूरी जिम्मेदारी उसी की है, लेकिन ठेकेदार के संचालक अजहरुद्दीन ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।

अजहरुद्दीन ने अपने लिखित पत्र में कहा है कि उनका काम अभी शुरू ही नहीं हुआ था और मृतक मोहे लाल सिंह उनका कर्मचारी नहीं था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने पहले ही चार अधिकृत कर्मचारियों आमुद्दीन, उदयपाल यादव, रज्जू खान और रमेश यादव की सूची कंपनी को सौंप दी थी। ऐसे में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि जब मृतक उस सूची में शामिल नहीं था, तो वह खदान के अंदर कैसे पहुंचा? क्या खदान में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश इतना आसान है, यदि हां, तो सुरक्षा व्यवस्था किस स्तर पर है? और यदि नहीं, तो फिर यह गंभीर चूक किसकी है?

यह पूरा मामला अब केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कई स्तरों पर लापरवाही और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश को उजागर कर रहा है। एक ओर प्रबंधन ठेकेदार पर जिम्मेदारी डाल रहा है, वहीं ठेकेदार खुद को पूरी तरह निर्दोष बता रहा है। ऐसे में सच्चाई आखिर क्या है, यह जांच का विषय जरूर है, लेकिन प्रथम दृष्टया कई सवाल सीधे प्रबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं।

सबसे गंभीर सवाल यह भी है कि घटना के बाद तत्काल पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? जानकारी के अनुसार, पुलिस को घटना की खबर अन्य स्रोतों से मिली, जबकि प्रबंधन की ओर से सूचना बाद में दी गई। क्या यह देरी भी तथ्यों को छुपाने की एक कड़ी थी? मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा के उचित इंतजाम होते, तो शायद आज मोहे लाल सिंह जीवित होते। अब उनके परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा?

स्थानीय लोगों और मजदूर संगठनों ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि खदानों में मजदूरों से बिना सुरक्षा उपकरणों के काम लिया जाना आम बात है और जब हादसा होता है, तो जिम्मेदारी से बचने का खेल शुरू हो जाता है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और मुआवजे के साथ-साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। हालांकि पुलिस ने फिलहाल स्थिति को शांत करा दिया है, लेकिन आक्रोश अभी भी बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और मेडिकल कॉलेज से मर्ग डायरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यह भी संकेत मिले हैं कि प्रबंधन के अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों बी.के. जेना और संजय सिंह पर कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी कागजों में दबकर रह जाएगा? बंगवार खदान की यह घटना केवल एक मौत नहीं, बल्कि सिस्टम की उन खामियों को उजागर करती है, जिनकी कीमत मजदूर अपनी जान देकर चुका रहे हैं। अब जरूरत है निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को बड़ी राहत, निगरानी याचिका खारिज

शहडोल अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला, आपत्तिजनक बयान के आरोप साबित नहीं

शहडोल।

बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को शहडोल के प्रथम अपर सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके खिलाफ दायर निगरानी याचिका को निरस्त करते हुए उनके पक्ष में आदेश पारित किया है। यह फैसला पीठासीन न्यायाधीश कमलेश कुमार कोल द्वारा सुनाया गया।

प्रकरण के अनुसार, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ शहडोल में एक आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान दिए गए अपने बयान में असंवैधानिक, आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें कही थीं। परिवाद में उनके खिलाफ देशद्रोह सहित अन्य गंभीर धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई थी।

इस मामले में पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट सीताशरण यादव द्वारा परिवाद को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद परिवादी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपर सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी।

अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान कथित वीडियो क्लिप का अवलोकन किया गया। न्यायालय ने पाया कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा किसी धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की गई है और न ही उनके बयान से किसी प्रकार की धार्मिक भावनाएं भड़काने का आशय स्पष्ट होता है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। इस आधार पर निगरानी याचिका को निरस्त करते हुए पूर्व आदेश को बरकरार रखा गया। प्रकरण में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से अधिवक्ता समीर अग्रवाल एवं उनके सहयोगी शिवम चतुर्वेदी ने पैरवी की। न्यायालय के इस निर्णय के बाद उनके समर्थकों में संतोष का माहौल देखा जा रहा है। इस फैसले को शास्त्री के लिए एक बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उन पर लगे आरोपों को न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

महादेव मेडिकल में अवैध सोनोग्राफी का गंदा खेल

स्वास्थ्य विभाग की सरपरस्ती में चलता रहा मौत का सौदा

भनक लगते ही गायब कर दी गई मशीन

साहब भोपाल की मीटिंग में व्यस्त, सहायक ने झाड़ा पल्ला

उमरिया।

जिला मुख्यालय के व्यस्ततम पुराने बस स्टैंड पर स्थित महादेव मेडिकल स्टोर अचानक शहर की चर्चाओं का केंद्र बन गया है। यहां स्वास्थ्य विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गुपचुप तरीके से अल्ट्रासाउंड मशीन (सोनोग्राफी) का संचालन किया जा रहा था। जैसे ही इस अवैध कारोबार की खबर फैली, आनन-फानन में मशीन को रातों-रात ठिकाने लगा दिया गया। सवाल उठता है कि अगर मशीन वैध थी, तो उसे चोरों की तरह भगाने की जरूरत क्यों पड़ी।

अंधा प्रशासन, बहरा तंत्र

शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में एक मेडिकल स्टोर के भीतर सोनोग्राफी सेंटर चल रहा था और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी खबर तक नहीं थी? यह बात गले से नीचे नहीं उतरती। जानकारों का कहना है कि बिना विभागीय मिलीभगत के इतना बड़ा जोखिम कोई दुकानदार नहीं उठा सकता। यह सीधे तौर पर गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम एक्ट का उल्लंघन है। क्या स्वास्थ्य विभाग इस मशीन के जरिए होने वाले पाप (भ्रूण लिंग परीक्षण) में बराबर का हिस्सेदार है।

सवालों के घेरे में महादेव मेडिकल का रसूख

अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन कोई मजाक नहीं है। इसके लिए कड़े नियम, विशेषज्ञ डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग का विधिवत पंजीकरण अनिवार्य है। महादेव मेडिकल स्टोर में आखिर किस विशेषज्ञ की देखरेख में जाँच हो रही थी? मशीन को हटाने की जल्दबाजी साफ इशारा करती है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। संचालक का इस मुद्दे पर चुप्पी साधना और जिम्मेदार व्यक्ति का नाम न बताना यह साबित करता है कि यहाँ कानून को ठेंगे पर रखा गया था।

गर्भ में पल रही बेटियों पर संकट!

इस तरह के अवैध सेंटर सबसे ज्यादा भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए कुख्यात होते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड मशीन चलाना इस संदेह को गहरा करता है कि यहाँ पैसों के लालच में कोख का कत्लेआम करने की साजिश रची जा रही थी। बिना योग्य रेडियोलॉजिस्ट के गलत रिपोर्ट देकर मरीजों की जान जोखिम में डालना भी एक बड़ा अपराध है।

अब दिखावे की कार्रवाई का इंतजार

सूचना मिलने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती यह बताने के लिए काफी है कि मामले को रफा-दफा करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अधिकारी भोपाल से लौटेंगे, फाइल खोलेंगे और शायद कोई मामूली खानापूर्ति कर मामला शांत कर देंगे। लेकिन उमरिया की जनता अब जवाब चाहती है। क्या जिला प्रशासन में इतनी हिम्मत है कि महादेव मेडिकल स्टोर के संचालक और इस अवैध धंधे को फलने-फूलने देने वाले विभागीय अधिकारियों पर गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कराए या फिर मीटिंग का बहाना बनाकर दोषियों को भागने का पूरा रास्ता दे दिया जाएगा?

अधिकारी भोपाल में, बाबू दे रहे सफाई

जब इस सनसनीखेज मामले पर विभाग से जवाब मांगा गया, तो सहायक ग्रेड-3 मनीष पटेल का गैर-जिम्मेदाराना बयान सामने आया। उन्होंने कहा मशीन उठा ली गई है और अधिकारी भोपाल मीटिंग में हैं। क्या मीटिंग में जाने से पहले अधिकारियों ने इस अवैध सेंटर को संरक्षण दे रखा था? बिना जब्ती की कार्रवाई किए, मशीन को जहां की थी वहां भेजने की अनुमति किसने दी? क्या साक्ष्य मिटाने के लिए खुद विभाग ने ही संचालक की मदद की है?

इनका कहना है....

मैं भी भोपाल मीटिंग में आया हूं लौटने के बाद में उक्त मामले को दिखाता हूं। महादेव मेडिकल के पास सोनोग्राफी का लाइसेंस है। हालांकि मौके पर कौन डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मशीन का संचालन कर रहा था, इसकी जानकारी हमें नहीं है, हमने कहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने आगे बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन राजकुमार सिंह के निजी अस्पताल की है। मशीन का संचालन मेडिकल स्टोर में रखकर क्यों किया जा रहा है, इस मामले की जांच कराई जाएगी। मामले में जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. वी.एस.चंदेल
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया

हमारे पास मशीन थी ही नहीं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

राहुल तिवारी संचालक,
मेडिकल स्टोर

अगर मशीन नियम विरूद्ध चल रही है तो कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा की जाएगी।

सत्यभामा अवधिया
रीजनल डायरेक्टर, रीवा

अन्नदाता के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील है तानाशाह भाजपा सरकार: अजय

अन्नदाता पर अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

शहडोल। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया। जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी के नेतृत्व में जय स्तंभ चौक स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के सामने कांग्रेसियों ने विशाल धरना-प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में उमड़े जनसैलाब और किसानों के आक्रोश ने सरकार के सुशासन के दावों की हवा निकाल दी।

कुप्रबंधन की भेंट चढ़ा किसान, मंडियों में मची लूट

धरनास्थल पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा भाजपा सरकार अन्नदाता के प्रति संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। एक तरफ राजस्थान में खरीदी शुरू हो गई है, वहीं एमपी में तारीख पर तारीख बढ़ाकर किसानों को मंडियों में बिचौलियों के हाथों लुटने के लिए छोड़ दिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के कुप्रबंधन के कारण आज 50 प्रतिशत किसान डिफॉल्टर की श्रेणी में खड़े हैं, जिसका सीधा जिम्मेदार सरकारी तंत्र है।

राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, दी चेतावनी

प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम एक सख्त लहजे में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निम्नलिखित ज्वलंत मुद्दों पर घेराबंदी की गई। 31 मार्च की समय सीमा और गेहूं उपार्जन में देरी के कारण किसान कर्जदार बन गए हैं। मजबूरी में किसान अपनी उपज 2000-2200 रुपये क्विंटल बेचने को विवश है। पड़ोसी राज्यों में सुचारू खरीदी, मगर मध्य प्रदेश में केवल आश्वासन की घुट्टी।

आर-पार की लड़ाई का शंखनाद

जिला मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी। खाद-बीज की किल्लत और बढ़ती लागत ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। कांग्रेस ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गेहूं उपार्जन शुरू नहीं हुआ और डिफॉल्टर किसानों को राहत नहीं मिली, तो यह आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। इस दौरान भारी संख्या में किसान और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार विरोधी नारों से आसमान गुंजा दिया।

रेड क्रॉस सोसायटी ने थामा कैंसर पीड़ित दंपत्ति का हाथ, एम्स भोपाल में होगा इलाज

रेडक्रास सोसायटी से पांच हजार रूपये कि उपलब्ध कराई गई सहायता

उमरिया। समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा उमरिया द्वारा एक सराहनीय और मानवीय पहल की गई है।कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक दंपत्ति को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की गई, बल्कि उनके बेहतर इलाज के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सा संस्थान में व्यवस्था भी सुनिश्चित की रेड क्रॉस सोसायटी की इस पहल को जिले में मानव सेवा के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।

उमरिया जिले के वार्ड क्रमांक 13 निवासी दंपत्ति लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पी?ति हैं। पति-पत्नी दोनों का इलाज चल रहा है, लेकिन सीमित आय और संसाधनों की कमी के कारण इलाज, यात्रा, दवा और दैनिक जरूरतों को पूरा करना उनके लिए बेहद कठिन हो गया था। बीमारी के साथ-साथ आर्थिक संकट ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया था, जिससे समय पर और बेहतर इलाज मिल पाना चुनौती बन गया था। ऐसे संवेदनशील समय में रेड क्रॉस सोसायटी शाखा उमरिया ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए दंपत्ति की सहायता के लिए तत्काल कदम उठाते हुए पांच हजार रूपये की आर्थिक सहायता कलेक्टार धरणेन्द्र कुमार जैन के हाथो दिलाई गई । रेड क्रॉस सोसायटी के सतत प्रयासों और समन्वय से अब इस दंपत्ति का इलाज देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑ? मेडिकल साइंसेस भोपाल में सुनिश्चित किया गया है। एम्स भोपाल में इलाज मिलने से मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बढ़ेगी। रेड क्रॉस सोसायटी ने केवल तत्काल सहायता तक ही सीमित न रहते हुए दीर्घकालिक समाधान पर भी कार्य किया। संस्था के प्रयासों से पीड़ित दंपत्ति को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया गया। इस योजना के तहत अब उनका इलाज कम खर्च या निःशुल्क हो सकेगा, जिससे आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। यह कदम उनके लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। इस दौरान रेड क्रॉस सोसायटी शाखा उमरिया के अध्यक्ष एवं कलेक्टर धरणेंद्र कुमार जैन, सचिव राकेश शर्मा, जूनियर रेडक्रॉस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मान सिंह ,सभापति अखिलेश त्रिपाठी उपस्थित रहे ।

खबर संक्षेप

श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना का उठाए लाभ

अनूपपुर। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना प्रारंभ की गई है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बुढ़ापे का मजबूत सहारा होगी इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने इस योजना के पंजीकृत श्रमिकों को निश्चित पेंशन रुपए 3 हजार की पेंशन प्राप्त होगी इस योजना के तहत बराबर का योगदान जितना आप जमा करेंगे भारत सरकार उतना ही जमा करेगी पारिवारिक सुरक्षा लाभार्थी की मृत्यु के बाद नामिनी को 50 प्रतिशत पेंशन का लाभ प्राप्त होगा इस संबंध में आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर मानधान पोर्टल पर श्रमिक स्वयं को रजिस्टर करा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के बीच के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार या उससे कम हो उठा सकेंगे श्रमिक ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस के सदस्य नहीं होना चाहिए। पंजीयन हेतु आधार कार्ड, बचत बैंक खाता या जनधन खाता, आईएफएससी कोड के साथ तथा मोबाइल नंबर आवश्यक है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम 14 अप्रैल को

अनूपपुर। राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनूपपुर में होगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु कलेक्टर हर्षल पंचोली ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी को नोडल अधिकारी तथा सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सुश्री सरिता नायक को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर टेन्ट, साउण्ड सिस्टम, माईक, स्टेज निर्माण, कार्यक्रम स्थल में साफ-सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं तथा स्वसहायता समूह की दीदियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है।

प्रतिबंध के बाद भी खेतों में नरवाई जला रहे किसान

उमरियापान। ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं फसल की कटाई का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। कटाई के बाद खेतों में बची नरवाई को नष्ट करने के लिए अधिकांश किसान आग लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने खेतों में आग जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद उमरियापान, ढीमरखेड़ा, सिलौंड़ी,धरवारा और खमतरा क्षेत्र के गांवों में किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद नरवाई में आग जलाई जा रही है। आग जलाने के पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, वहीं खेतों में रखें कृषि उपकरण जलकर खराब हो रहे है।

अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त

उमरिया। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल एवं प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय की वीडियो कान्फ्रेन्स में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल 2026 को गरिमापूर्ण ढंग से समारोह पूर्वक मनाया जाना है। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के साप्ताहिक कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं व छात्रावासों में विविध आयोजन 8 अप्रैल 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक किये जावेगें। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने समस्त आयोजनों के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है एवं सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को सहायक नोडल अधिकरी नियुक्त किया है । समस्त आयोजनों हेतु उत्तरदायी कार्यालय/संस्था नोडल अधिकारी से समन्वय कर उनके मार्गदर्शन में समय-सीमा में कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम करौंदी में किया गया बोरी बंधान

उमरिया। पानी की प्रत्येक बूंद को सहेजने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है।अभियान के तहत जहां एक ओर वर्षों पुरानी जल संरचनाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नई जल संरचनाओं का निर्माण कर जल संरक्षण की दिशा में ठोस कार्य किए जा रहे हैं। उक्त आशय के विचार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम करौदी में आयोजित बोरी बंधान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए । उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रो में छोटी छोटी जल संरचनाओं में बोरी बंधान के माध्यम से जल का संरक्षण एवं संवर्धन करने से जल

स्तर बढेगा , जो यहां के मवेशियों एवं ग्रामीणों के काम आएगा। उन्होने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका है। जल स्त्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और विकास के इन प्रयासों से न केवल जल संकट का समाधान संभव होगा, बल्कि आने वाली पी?यिों के लिए सतत जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस अवसर पर सीईओ जनपद पंचायत करकेली ऋषभ शुक्ला सहित खंड स्तरीय अधिकारी एवं बडी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे ।

सन रिसॉर्ट से 17 बोतल अवैध शराब जब्त

उमरिया। अवैध मदिरा विक्रय एवं धारण के विरूद्ध कार्यवाही कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी सवित्री भगत के मार्गदर्शन में वृत्त मानपुर अंतर्गत सन रिसॉर्ट में अनावेदक इंद्रपाल सिंह द्वारा अवैध रूप से मदिरा संग्रहित किया जाना पाए जाने पर आबकारी अधिनियम 34 (1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया । उक्त कार्यवाही में अनावेदक के कब्जे से 17 बॉटल विदेशी मदिरा व्हिस्की जप्त किया गया। जिसकी अनुमानित मूल्य रूपये 22,500 है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक दिनकर सिंह तिवारी के नेतृत्व में की गयी। जिसमें आबकारी आरक्षक राजपति प्रजापति, कविता सिंह,अंजली गौतम तथा नगर सैनिक श्री जीवनलाल कोल की भूमिका सराहनीय उपस्थित रहे।

कलेक्टर के आदेश की अनदेखी, जैतहरी का जर्जर पुलिस क्वार्टर बना हादसे का इंतजार

जैतहरी। जिले के जैतहरी नगर में स्थित लगभग सात-आठ दशक पुराने जर्जर पुलिस सर्किल क्वार्टर को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री एवं कृषि उपज मंडी जैतहरी के पूर्व अध्यक्ष कैलाश सिंह मरावी ने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को पत्र लिखकर इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अपने पत्र में मरावी ने उल्लेख किया है कि कलेक्टर कार्यालय द्वारा जुलाई 2024 में जारी आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग की अनुपयुक्तता रिपोर्ट के आधार पर जिले के जर्जर भवनों को ध्वस्त कर समतलीकरण की अनुमति दी गई थी। इस आदेश के पालन में जैतहरी नगर के कई भवन जैसे मिडिल स्कूल (वार्ड 10), वन विभाग निरीक्षण कुटीर (वार्ड 6) तथा प्राथमिक स्कूल मनागंज (वार्ड 11) को कई माह पूर्व ही तोड़कर समतल कर दिया गया। हालांकि, इसी क्रम में जैतहरी के वार्ड क्रमांक 10 स्थित मुख्य मार्ग पर बने पुलिस सर्किल क्वार्टर को लेकर स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है। मरावी का आरोप है कि नगर परिषद जैतहरी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा पिछले लगभग एक वर्ष में नगर निरीक्षक, थाना जैतहरी एवं पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को कई पत्र लिखे जाने के बावजूद अब तक इस जर्जर भवन को हटाने की सहमति नहीं दी गई है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि "कानून के रखवाले ही यदि कलेक्टर के आदेश की अनदेखी करें, तो यह व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।" पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में हाल ही में हुई दुर्घटनाओं के मद्देनजर ऐसे जर्जर भवन किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से चिंता का विषय यह है कि यह जर्जर पुलिस क्वार्टर उत्कृष्ट बालक हायर सेकेंड्री स्कूल के समीप तथा अहिंसा चौक जैसे व्यस्त मुख्य मार्ग पर स्थित है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र एवं आम नागरिकों का आवागमन रहता है। ऐसे में किसी अप्रिय घटना की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। मरावी ने कलेक्टर से मांग की है कि जिले में जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण और समतलीकरण के आदेश का समान रूप से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि जनहित में संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस मामले ने एक बार फिर प्रशासनिक समन्वय और जिम्मेदारी के सवाल को सामने ला दिया है, जहां एक ओर आदेश जारी होते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके क्रियान्वयन में देरी जनसुरक्षा पर भारी पड़ सकती है।

पवित्र नगरी अमरकंटक में श्री नर्मदा महापुराण कथा का भव्य आयोजन

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक। मां नर्मदा की पावन जन्मस्थली अमरकंटक में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम होने जा रहा है। मां नर्मदा की महिमा के गुणगान हेतु "श्री नर्मदा महापुराण" कथा का भव्य आयोजन 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा।

इस धार्मिक आयोजन के अंतर्गत प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से 12 बजे तक पारायण एवं अपराह्न 03 बजे से सायं 06 बजे तक कथा का वाचन किया जाएगा। आयोजन के प्रथम दिवस 20 अप्रैल, सोमवार को प्रातः 9 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस दिव्य कथा के वाचक पंडित धनेश द्विवेदी, प्रधान पुजारी, नर्मदा मंदिर अमरकंटक, अपने ओजस्वी वाणी से मां नर्मदा की महिमा का विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। कथा का आयोजन कपिल कुटी सेवा आश्रम, रामद्वारा समिति, दक्षिण तट, पुष्कर धाम, अमरकंटक में संपन्न होगा। विशेष रूप से 23 अप्रैल, गुरुवार को 33 कोटि देवी-देवताओं के निमित्त विशेष हवन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

वहीं 27 अप्रैल को कथा विश्राम, हवन, कन्या पूजन, भंडारा एवं व्यास पूजन जैसे विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। आयोजन समिति ने समस्त श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस पुण्य अवसर पर सपरिवार उपस्थित होकर मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।

हवन पश्चात भंडारे के साथ किया भागवत कथा का समापन

हरिभूमि न्यूजकोतमा। नगर के वार्ड क्रमांक एक शंकर मंदिर के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन रुक्मणी विवाह प्रसंग का वर्णन किया गया। कथावाचक पंडित सुदामा महाराज ने कहा कि जब जीव पर माया का आवरण हटता है तो वह रास में प्रवेश कर ईश्वर के आनंद का अनुभव करता है। कथा में रासलीला, भगवान शंकर के रास में प्रवेश, मथुरा जाकर कंस के उद्धार और गुरुकुल शिक्षा का प्रसंग भी सुनाया। अंत में रुक्मणी के साथ गंधर्व विवाह की कथा सुनाई गई। श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह की कथा सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठे। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी का विवाह उसका भाई रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल से निश्चित कर दिया पर रुक्मिणी को यह संबंध स्वीकार नहीं था, वह श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के द्वारा श्रीकृष्ण को प्रेम पत्र भेजा। पत्र पढ़कर श्रीकृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर गिरजा मां के मंदिर में आए और रुक्मिणी का हरण कर द्वारिका लेकर चले गए। रूक्मिणी विवाह मे बैंड बाजे के साथ बारात निकाली गई जहां श्रद्धालुओं ने जमकर नाचते झूमते नजर आए। पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया गया। भागवत कथा का समापन गुरुवार को हवन पश्चात भंडारे के साथ किया गया जहां लोगों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।

शिवसेना संभाग अध्यक्ष पवन पटेल के नेतृत्व में शिवसैनिक तोड़ रहे पशुतस्करों की कमर

हरिभूमि न्यूज बदरा/जमुना। क्षेत्र में बढ़ रही पशु तस्करी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब शिवसैनिकों ने मोर्चा खोल दिया है। बीती रात साथियों के सहयोग से क्रूरता पूर्वक मवेशियों से भरी एक पिकअप गाड़ी को फूनगा में पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। जानकारी के अनुसार शिवसैनिकों को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में मवेशियों को बेहद क्रूर तरीके से लादकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही सतर्क हुए कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी की और वाहन को रोक लिया। शिवसैनिकों के तेवर देख पिकअप छोड़कर ड्राइवर भाग खड़ा हुआ। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि ड्राइवर और गाड़ी का मालिक हत्थे चढ़ जाते, तो उन्हें कड़ा सबक सिखाया जाता उक्त कार्यवाही में कोतमा नगर अध्यक्ष बरकत कुरैशी, निहाल खान, किशन चौधरी, अमन शर्मा, जितेंद्र सिंह, आर्यन पनिका, दिवाकर साहू, पंकज पनिका, सुमित पनिका, राहुल पूरी, आदर्श मिश्रा, मोनू, प्रवीण पटेल, सेंटी विश्वकर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थिति रहे। इस कार्रवाई के बाद शिवसैनिकों ने खुले तौर पर क्षेत्र के पशु तस्करों और उनके दलालों को चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पशु तस्करी का अवैध कारोबार तत्काल बंद कर दें, अन्यथा अब हर गली-मोहल्ले में शिवसैनिक उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस सफल अभियान के बाद सक्रिय सदस्यों ने उन सभी साथियों और स्थानीय लोगों का दिल से आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इस कार्रवाई में सहयोग किया। क्षेत्र में इस कार्रवाई की चर्चा जोरों पर है और इसे गौ-वंश की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

नगर परिषद प्रशासन हुआ सक्रिय

हरिभूमि न्यूज राजनगर। नगर परिषद बनगवां (राजनगर) में लगातार गहराते जल संकट को लेकर परिषद प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष यशवंत सिंह के कुशल नेतृत्व नेतृत्व एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी लखन पनिका के मार्गदर्शन में नगरवासियों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए परिषद द्वारा त्वरित और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के समाधान पर काम किया जा रहा है। नगर के विभिन्न वार्डों में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा टैंकरों के माध्यम से जल वितरण किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में जल संकट अधिक गहरा है। वहां प्राथमिकता के आधार पर टैंकर भेजे जा रहे हैं। जिससे नागरिकों को पेयजल की कमी का सामना न करना पड़े। नगर परिषद की यह पहल आमजन के लिए राहत का माध्यम बन रही है, हालांकि बढ़ती गर्मी के कारण जल की मांग लगातार बढ़ रही है। जल संकट के स्थायी समाधान के लिए नगर परिषद द्वारा एसईसीएल राजनगर आर. ओ. प्रबंधन से भी संपर्क साधा गया है। परिषद द्वारा पत्राचार कर जल के वैकल्पिक स्त्रोतों को विकसित करने एवं उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की दिशा में पहल की जा रही है। अधिकारियों का मानना है, कि इस सहयोग से नगर को भविष्य में स्थायी जल आपूर्ति व्यवस्था मिल सकती है।

इसके साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत 2.0 के अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र में निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक के कार्य को तेजी से पूर्ण कराने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष यशवंत सिंह द्वारा संबंधित ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। ओवरहेड टैंक के बन जाने से नगर में जल वितरण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नगर परिषद द्वारा पुराने जल स्त्रोतों को भी पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। अध्यक्ष यशवंत सिंह एवं सीएमओ लखन पनिका द्वारा नगर के पुराने कुओं एवं हैंडपंपों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिन स्त्रोतों में मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें तत्काल सुधार कर पुनः चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर जल उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। नगर परिषद प्रशासन का कहना है, कि जल संकट से निपटना उनकी प्राथमिकता है, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। परिषद द्वारा तात्कालिक राहत के साथ-साथ दीर्घकालिक समाधान पर भी समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में नगरवासियों को पानी की समस्या से स्थायी राहत मिल सके।

थाना जैतहरी द्वारा दो गांजा तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही, 09.267 किलोग्राम गांजा जब्त

हरिभूमि न्यूज, जैतहरी। जैतहरी पुलिस द्वारा दो दिनों में दो गांजा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। 07 अप्रैल को रात्रि कस्बा पेट्रोलिंग के दौरान कुसुमहाई रोड पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल चालक को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम राजेश राठौर पिता गोपाल राठौर उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम गोरसी, उमरिया बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग 1.037 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। आरोपी से गांजा (कीमत लगभग 9,000) एवं बिना नंबर की होंडा लिवो मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 60,000) जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार 08 अप्रैल को रात्रि गश्त के दौरान खोली फाटक टोला से मरनी टोला मार्ग पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर वापस भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसने अपना नाम दीपनारायण द्विवेदी पिता स्व. रामाधार द्विवेदी, उम्र 44 वर्ष, निवासी धनगंवा पूर्वी वार्ड क्र. 07, थाना जैतहरी बताया। तलाशी में उसके पास से 08 पैकेटों में रखा लगभग 8.230 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी से गांजा (कीमत लगभग 72,000) एवं होंडा एसपी साइन मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 80,000) जप्त

कर उसे गिरफ्तार किया गया। दोनों कार्यवाहियों में कुल 09.267 किलोग्राम गांजा (कीमत लगभग 81,000) एवं दो मोटरसाइकिल (कुल कीमत लगभग 1,40,000) जप्त किए गए। इस प्रकार कुल 2,21,000 का मसरूका जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अमर वर्मा, उनि. अमरलाल यादव, सउनि सुरेश कुमार कोरी, सउनि विनोद विश्वकर्मा, सउनि जय सिंह, प्रआर.72 श्याम शुक्ला, प्रआर.141 मनोज सिंह, प्रआर.49 संजय लोधी, चा.प्रआर संतोष जायसवाल, आरक्षक मनीष सिंह तोमर एवं आरक्षक नरेन्द्र जाट की सराहनीय भूमिका रही। थाना जैतहरी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

खबर संक्षेप

सेंट्रल बैंक में कैश ना मिलने के लोग परेशान

सिलौंडी। सिलौंडी सेंट्रल बैंक में सिलौंडी क्षेत्र के लगभग 40 गांव के लोगो के खाते है परंतु महीने में 10 से 12 दिन कैश ना होने के कारण सेंट्रल बैंक के ग्राहक परेशान है ।स ्थानीय लोगों ने बताया कि बधुवार को क्षेत्र के सभी गांव के लोग खरीददारी के लिए साप्ताहिक बाजार सिलौंडी आते है मगर बैंक में नगद राशि ना मिलने के कारण वह अपनी खरीददारी नही कर पाते है । सिलौंडी सेंट्रल बैंक में कैश ना होने के कारण व्यापारी ,किसान ,पेंशनधारी लोग को बहुत बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है । सिलौंडी में एक ही बैंक होने के कारण लोग भटकने को मजबूर है ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा बैठक आज

कटनी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं में प्रगति लाने जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के मंगल भवन में गुरुवार,9 अप्रैल को समीक्षा बैठक जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के मुख्य कार्य पालन अधिकारी युजवेंद्र कोरी अध्यक्षता में आयोजित की गई है। उल्लेखनीय है कि गत दिवस ही जिला पंचायत की सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने विभागीय योजनाओं को गति प्रदान करने समीक्षा बैठक में समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है।श्री कोरी ने इसी अनुक्रम में समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों को एजेंडा के अनुसार अद्यतन जानकारी के साथ गुरुवार, 9 अप्रैल को 12 बजे बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने समीक्षा बैठक में योजनाओं के प्रभारी, पंचायत समन्वय अधिकारी सहायक विकास विस्तार अधिकारी, सहायक यंत्री और उपयनत्रियों को जानकारी सहित उपस्थित होने निर्देश दिए हैं।

ब्रेड एवं टोस्ट के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे

कटनी। जिले में नागरिकों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा रॉबर्ट लाइन माधवनगर स्थित झूलेलाल बेकरी एवं दीपक ब्रेड का औचक निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने बताया कि टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान मौके पर झूलेलाल बेकरी के संचालक गुरमुख दास भोजवानी द्वारा कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रस्तुत नहीं किए गए एवं पेस्ट कंट्रोल का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर उन्हें धारा 32 के तहत सुधार सूचना जारी करने हेतु अनुशंसा की गई। साथ ही मौके पर गुणवत्ता में शंका के आधार पर खाद्य पदार्थ ब्रेड तथा टोस्ट के नमूने जांच हेतु लिए गए। इसी प्रकार दीपक इंटरप्राइजेज में ब्रेड की जांच के दौरान मौके पर उसके संचालक दीपक भोजवानी को भी मेडिकल फिटनेस प्रस्तुत न करने एवं साफ-सफाई की स्थिति सुधार न होने के कारण धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किया जाएगा। दीपक ब्रेड से गुणवत्ता में शंका के आधार पर पाव ब्रेड का नमूना जांच हेतु लिया गया है। इन दोनों फैक्ट्रियों से लिए गए नमूनों को जांच प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है।

सफाई व्यवस्था के साथ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव

कटनी। स्वच्छता सर्वेक्षण के निर्धारित मानकों के अनुरूप नगर की सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाए रखने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अभियान के तहत शहर के विभिन्न बाजार क्षेत्रों, मुख्य मार्गो में नियमित साफ-सफाई, जल निकासी की समुचित व्यवस्था के साथ ही कचरा संग्रहण एवं निस्तारण की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। निगम प्रशासन द्वारा मुख्य मार्गों, बाजार क्षेत्रों तथा आवासीय वार्डों में दो शिफ्ट में सफाई कार्य संचालित किया जा रहा है, ताकि पूरे शहर में स्वच्छता का स्तर बनाए रखा जा सके। वहीं सफाई कार्य की मॉनिटरिंग हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा भी रोजाना प्रातः कालीन नगर की सफाई व्यवस्था सहित कचरा संग्रहण वाहनों की नियमित मॉनिटरिंग कर समयबद्ध तरीके से डोर-टू-डोर कलेक्शन सुनिश्चित किया जा रहा है।

नगर को मिली विकास की बड़ी सौगातः विधायक ने किया नवीन परिषद भवन और एम.आर.एफ.सेंटर का भूमिपूजन

बुढार। नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र. 6 में परिषद कार्यालय भवन के नवनिर्माणाधीन कार्य का तथा ट्रेचिंग ग्राउण्ड में एम.आर.एफ. सेंटर एवं विण्डो कम्पोस्टिंग प्लांट निर्माण कार्य का गुरूवार को गरिमामयी कार्यक्रम के मध्य भूमिपूजन किया गया। जैतपुर क्षेत्र के विधायक जयसिंह मरावी के मुख्यातिथ में तथा जिला योजना समिति सदस्य श्रीमती अमिता चपरा के विशिष्ट आतिथ्य व नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी की अध्यक्षता में नवनिर्माणाधीन कार्य का भूमिंपूजन किया गया और कुदाल चलाकर कार्य का शुभारंभ किया गया।

नगर परिषद बुढार के नवीन कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु 60 लाख की राशि खनिज मद से स्वीकृत मिली है, वहीं 60 लाख की राशि एम.आर.एफ. सेंटर, कम्पोस्टिंग प्लांट निर्माण हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण शासन मद से अर्जित हुई है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक जयसिंह मरावी ने कहाकि - नगर परिषद बुढार को एस.ई.सी.एल. के सी.एस.आर. मद से 2 करोड़ 2 लाख की राशि की स्वीकृति ऑडिटोरियम एवं स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु मिली है, जो नगर बुढार के लिये अति उपलब्धि पूर्ण है और नागरिकों तथा खिलाड़ियों को आने वाले समय में सुविधा युक्त यह सौगात मिल सकेगी।

विधायक जयसिंह मरावी ने कहाकि - नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी तथा उनकी परिषद नागरिकों को विकास की सौगात अर्जित कराने में तत्पर है और उनके प्रस्तावों व सुझावों को मुझ द्वारा भी पूर्ण प्राथमिकता प्रदान की जा रही है, जिससे निर्माण कार्य नगर में प्रगति की ओर अग्रसर है। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहाकि - संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह तथा क्षेत्रीय विधायक जयसिंह मरावी जी बुढार नगर हित के प्रस्तावों पर भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं और विधायक जी ने महावीर द्वार के नवनिर्माण हेतु 1 करोड़ 25 लाख की राशि अर्जित कराई है जिसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जायेगा। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी ने कहाकि - नगर बुढार को 50 वर्ष उपरान्त ऑडिटोरियम तथा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की बहुत बड़ी सौगात स्तुत्य प्रयास पर अर्जित हुई है, और नगर परिषद को घर के समान मय और पूरी परिषद की टीम ने माना है जिसके फलस्वरूप नगर विकास की ओर अग्रसर है। श्रीमती शालिनी सरावगी ने कहाकि - नगर परिषद को दस एकड़ की भूमि मिली है जिसपर नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य, शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण तथा बुजुर्गों एवं नवयुवकों को ई-लाइब्रेरी की सुविधा जैसे विभिन्न कार्यों को कराया जाना है।नगर परिषद पार्षद श्रीमती सविता सिंह भदौरिया ने नगर के सुप्रसिद्ध विरासिनी मंदिर बुढार में प्रवेश द्वार निर्माण का प्रस्ताव रखा जिसपर विधायक जयसिंह ने इसकी सहर्ष घोषणा की। नवनिर्माणाधीन कार्य के भूमिंपूजन अवसर पर - रविकांत चौरसिया, सी.एम.ओ. सौरभ श्रीवास्तव, देवेन्द्र द्विवेदी, रविकुमार रजक, लक्ष्मण गौतम, अनिल सिंह, मनोज जैन, सुधाकर शर्मा, श्रीकृष्ण गुप्ता, चन्द्रभान गुप्ता, रामयश मलानी, आनंद बारी, योगेंद्र सिंह, आशु तिवारी, विनोद पाठक, रामभजन गुप्ता, पार्षद हरिश्चंद्र केवट, श्रीमती सविता सिंह भदौरिया, सुमित्रा नामदेव, जूली जैन, सुधा बारी, गीता प्रजापति, जूली रजक, मोहन बैगा, अशोक वैश्य, काजल सरावगी, मनीषा यश मलानी, संजू पात्रिक, बाल्मीक पाण्डेय, सन्तोष प्रजापति, पवन नियरसेस, संजय नैनानी, अनिल सिंह (बन्टू), उपयंत्री सी.पी. पाण्डेय, इंजीनियर मनोज चतुर्वेदी, राधिका तिवारी, अभय शुक्ला, संजय द्विवेदी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का संचालन युवा उत्साही आनंद बारी ने किया।

मर्ग जांच के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी पुष्पेंद्र जोगी उज्जैन से गिरफ्तार

बुढार। थाना बुढार पुलिस ने एक मर्ग जांच के दौरान सनसनीखेज खुलासा करते हुए आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को उज्जैन से पकड़कर न्यायालय में पेश किया है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, 20. फ़रवरी.2026 को दर्ज मर्ग की सूक्ष्म जांच के दौरान पुलिस ने सूचनार्ता और मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए थे। बयानों और साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि मृतक को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पुष्पेंद्र जोगी (निवासी बजरंग कॉलोनी, उज्जैन) और विशाल कान गुरैया (निवासी टिकुरी टोला, बुढार) के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 108 और 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

उज्जैन से हुई गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार बुढार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपी की घेराबंदी की और अंततः मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र जोगी को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को आज, 09 अप्रैल 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

अवैध कोयला उत्खनन पर पुलिस का डंडा जेसीबी मशीन जब्त; आरोपियों पर मामला दर्ज

बुढार। जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत केशवाही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मरखी माता मंदिर के पास कठना नदी किनारे दबिश देकर अवैध रूप से कोयला उत्खनन कर रही एक जेसीबी मशीन को रंगे हाथों पकड़ा है।

दबिश और गिरफ्तारी

बीते 08 अप्रैल 2026 को पुलिस को सूचना मिली थी कि नदी किनारे जेसीबी के माध्यम से अवैध खनन किया जा रहा है। घेराबंदी के दौरान मौके से निखिल यादव (उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम धुरवार) को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह बिना किसी वैध दस्तावेज के कोयला निकाल रहा था। आरोपी ने खुलासा किया कि जब्त जेसीबी मशीन उसे अभयराज श्रीवास (निवासी ग्राम धनौरा) द्वारा उत्खनन के लिए उपलब्ध कराई गई थी।

बरामदगी और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने मौके से निम्नलिखित सामग्री जब्त की है:जेसीबी मशीनः (चैचिस नंबरः HAR3DXINA03349565, इंजन नंबरः 400407570),कोयलाः ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरा हुआ लगभग एक ट्रॉली अवैध कोयला।

अवैध उत्खनन के विरुद्ध केशवाही पुलिस की इस मुस्तैदी से क्षेत्र के माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाइयां निरंतर जारी रहेंगी।पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303 (2) एवं खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।आरोपी चालक को नोटिस तामील कर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया है।

इनकी रही सराहनीय भूमिका

थाना प्रभारी बुढार विनय सिंह गहरवार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में मुख्य रूप से शामिल रहेःउपनिरीक्षकः गंगा सिंह मार्को (चौकी प्रभारी केशवाही),सउनिः संतोष सिंहप्रधान आरक्षकः राजभान सिंह,आरक्षकः जितेंद्र राठौर, गणेश सिंह एवं प्रशांत कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

जनगणना 2027: 15 अप्रैल से प्रगणक एवं सुपरवाईजर का प्रशिक्षण

उमरिया। जनगणना 2027 के प्रथम चरण (मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य) के सफल क्रियान्वयन हेतु जिले में नियुक्त प्रगणक एवं सुपरवाईजर का प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल तक आयोजित किया जाना है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने एवं तकनीकी बारीकियों का प्रशिक्षण देने हेतु संलग्न सूची अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए क्षेत्र हेतु फील्ड ट्रेनर नियुक्त किया जाता है। उन्होने कहा है कि नियुक्त फील्ड ट्रेनर्स प्रगणकों एवं सुपरवाईजरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),अनुविभाग बांधवग?, मानपुर एवं पाली अपने क्षेत्रांतर्गत प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण का समय 9.30 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक सुपरवाईजर प्रशिक्षण के दौरान अपनी टीम के साथ बैठेगें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

सीईओ जिला पंचायत ने स्कूलों एवं ग्राम पंचायतों का किया निरीक्षण

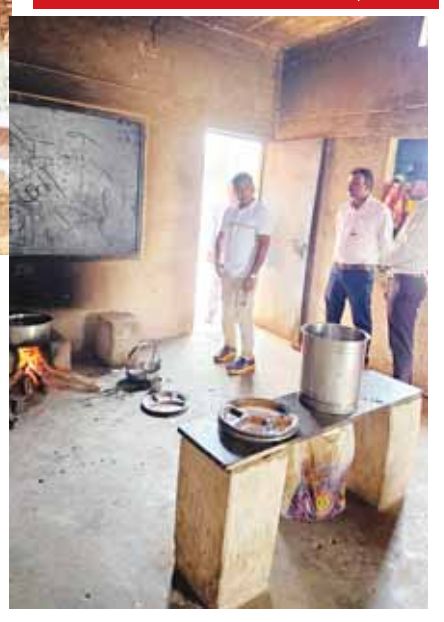

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

उमरिया। सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने करकेली विकासखंड के प्राइमरी स्कूल कॉलोनी एवं माध्यमिक (प्रा./मा.) स्कूल कॉलोनी, ग्राम पंचायत रहठा में प्रधानमंत्री आवास योजना का औचक निरीक्षण किया तथा योजनाओ के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। स्कूल के निरीक्षण के दौरान मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता कम मिलने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों को गुणवत्ता युक्त मध्यान्ह भोजन का वितरण मीनू के अनुसार के अनुसार किया जाए तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। इस दौरान उन्होने बच्चों की उपस्थिति का अवलोकन किया जो न्यूनतम पाई गई , जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बच्चों की उपस्थिति ब?ाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने ग्राम पंचायत रहठा में निर्माणाधीन

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कर निर्माण कार्यों की प्रगति की स मी क्ष ा की।हितग्राहियों को आवास निर्माण शीघ्र पूर्ण करने तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने कि बात कही। इस अवसर पर सीईओ जनपद पंचायत करकेली ऋषभ शुक्ला सहित खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे ।

शहर में अवैध कालोनियों की भरमार नगर निगम द्वारा जारी की गई सूची

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

शहर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने निगम प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाते हुए चिन्हित की गई अवैध कॉलोनियों के खसरा नंबरों की जानकारी से आम सूचना को अवगत कराते हुए सूचित किया गया है कि वे किसी भी भूमि या प्लॉट का क्रय-विक्रय करने से पहले उसकी वैधता की जानकारी अनिवार्य रूप से नगर निगम कार्यालय से प्राप्त करें। बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों में निवेश पर भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

कार्यपालन यंत्री एवं कॉलोनी सेल प्रभारी अंशुमान सिंह ने बताया कि कई कॉलोनाइजर द्वारा बिना वैधानिक स्वीकृति के प्लाटिंग कर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था जो नियमों का उल्लंघन है।

ये खसरा नंबर शामिल

नगर के जिन वार्डों के विभिन्न खसरा नंबरों पर अवैध कॉलोनियां विकसित किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं, उनमें जगमोहन दास वार्ड के तीन स्थलों के खसरा क्रमांक 462/7 ए ,463/19 ए 464/5 रकवा 0.633 हेक्टेयर, तथा 460/4/2, 460/5/4, 460/6 ख एवं 460/7 सहित 461 एवं 356 शामिल है। ग्राम अमकुही स्थित प.ह.नं. झिंझरी तहसील कटनी नगर में खसरा नंबर 194/1, 201/3, 194/2, 201/1/1/1/1, 201/3, 195, 201/1, 204 और 205, ग्राम बड़वारा तहसील कटनी नगर स्थित खसरा नंबर 1448/6 क, 1448/6, 1449/3, 1448/5, 1449/2, 1449/9, 1448/4 क, 1449/1, 1448/80 क 1447/3, 1448/7, 1449/4 कुल रकवा 1.66 हेक्टेयर शामिल है। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक वार्ड स्थित पांच स्थलों खसरा नंबर 32/1 एवं 33/1 कुल रकवा 0.539 है, तथा 12/6, 13 कुल रकवा 1.477 है., 69/1/2/1/1, 93/1 तथा 51/1, 51/2 एवं 51/3 शामिल है। राम मनोहर लोहिया वार्ड स्थित खसरा क्रमांक 344/13 कुल रकवा 0.150 है. तथा खसरा नंबर 635/1, 636/1, 637 एवं 638 शामिल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड स्थित खसरा नंबर 1369/1, 1370/1, 1370/2 कुल रकवा 0.080 हेक्टेयर, तथा 1497/1/1 कुल रकवा 0.9850 हे.शामिल है। सावरकर वार्ड के दो प्रकरणों क्रमशः खसरा नंबर 597/1 कुल रकवा 1.038 है तथा 607/8 क, 607/5, 603, 605, 606/1 तथा 602/2 कुल रकवा 1.50 है. शामिल है। रफी अहमद किदवई वार्ड रकवा नंबर 554/5, राजीव गांधी वार्ड 1417/1 ग, 1418/1 ग रकवा 0.45 हे., रामकृष्ण परमहंस वार्ड ग्राम छपरवाह, मंगल नगर खसरा नंबर 215/1/2, 214/1/2/2, 215/5/1, 193/3/1/2, 193/3/ 4/ 1, 193/3/4/2, 193/4, 193/ 3/1/1 /1/1, 1509/1, 1511/9, 1510/1, चन्द्र शेखर आजाद वार्ड खसरा नंबर 243/3, 244/3, 228/3, 245/3, 264/3, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 482/5483/5, 485/5486/5, 500/7, 486/2, 483/6, शामिल है।

नियमों के उल्लंघन पर 2600 रुपये का वसूल किया जुर्माना

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम के अतिक्रमण अमले द्वारा नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों में अभियान चलाया जाकर मुख्य मार्गों के अस्थाई अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।अतिक्रमण प्रभारी मानेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को भी निगम की अतिक्रमण टीम द्वारा नगर के विभिन्न मुख्य स्थलों बिलैया तलैया सब्जी मंडी, गोल बाजार, सुभाष चौक मुख्य मार्ग से बस स्टैंड तक मार्ग के अनधिकृत अतिक्रमण, रोड में लगी पन्नी तिरपाल आदि को हटाकर आवागमन को सुगम बनाने के प्रयास किए गए। वही बस स्टैंड में भी कार्यवाही के दौरान हॉकर्स जोन की दुकानों को व्यवस्थित किया गया। नगर निगम एवं यातायात विभाग द्वारा अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ सख्ती जारी है। इसी क्रम में विभिन्न प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जांच अभियान चलाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सड़क किनारे गलत तरीके से वाहन खड़े करने और यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों से कुल 2600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनी रहे।

नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक मार्गों को बाधित कर व्यवसाय न करें तथा निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें, जिससे अनावश्यक जाम की स्थिति से बचा जा सके।

खबर संक्षेप

नल जल योजना के संचालन व संधारण हेतु पंप ऑपरेटरों का प्रशिक्षण सम्पन्न

अनूपपुर। विकासखंड पुष्पराजगढ़ के जनपद कार्यालय सभागार में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के ग्रामों में संचालित नल जल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु पंप ऑपरेटरों का प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में पंप ऑपरेटरों को योजना संचालन और संधारण संबंधी समस्त जानकारी दी गई। इस दौरान जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं विकासखंड समन्वयक उपस्थित रहे।

पंचायत सचिवों पर शास्ति अधिरोपित करने के दिये निर्देश

कटनी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत समय-सीमा बीत जाने के बाद भी जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन के लंबित पड़े 14 आवेदनों पर कलेक्टर आशीष तिवारी ने सख्त रूख अपनाते हुये आवेदनों को लंबित रखने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। लोक सेवा गारंटी पोर्टल की समीक्षा में पाया गया कि योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत इमलाज, थनौरा, रैपुरा, खिरहनी में जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक-एक आवेदन लंबित है। इसी प्रकार मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत निटर्रा और बड़वारा में एक-एक जबकि ग्राम पंचायत परसेल में दो आवेदन लंबित है। इसके अलावा ग्राम पंचायत धवैया, बरहटा, थनौरा और तिघराकला में विवाह पंजीयन के एक-एक जबकि निटर्रा में दो आवेदन लंबित है। कलेक्टर श्री तिवारी ने जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग को लंबित पड़े प्रकरणों को 'स्वप्रेरणा' से अपील में लेकर अधिनियम की धारा 07 के तहत पदाभिहित अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित करते हुए 7 दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

कही पुलिस की खामोशी कही संरक्षण तो नहीं...?

हर्री-बर्री में 'जुएं का साम्राज्य'

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर हर्री-बर्री इलाके में अवैध जुएं का काला कारोबार बेखौफ फल-फूल रहा है। अनिल नाम के एक शख्स के इशारों पर लाखों रुपये का खेल दिन-रात चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोतवाली पुलिस की नाक के नीचे यह गोरखधंधा खुलेआम संचालित हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस अनजान है या फिर इस पूरे खेल को संरक्षण देकर कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है?। जिले के हर्री-बर्री क्षेत्र में इन दिनों कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, यहां अनिल नाम का व्यक्ति जुएं के बड़े नेटवर्क का संचालन कर रहा है, जिसने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। शाम होते ही जुएं के अड्डे गुलजार हो जाते हैं, जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये का दांव लगाया जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब कुछ पुलिस की जानकारी में होते हुए भी जारी है। कई बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में आक्रोश पनप रहा है।

स्थिति केवल हर्री-बर्री तक सीमित नहीं है, बल्कि कोतमा, जैतहरी, राजेंद्रग्राम जैसे इलाकों में भी इसी तरह के अवैध कारोबार की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन की निष्क्रियता ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून सिर्फ कागजों में रह गया है या फिर जिम्मेदारों की आंखों पर जानबूझकर पट्टी बांध दी गई है?

हर्री-बर्री बना जुएं का अड्डा, कानून की खुली धज्जियां

हर्री-बर्री अब महज एक इलाका नहीं, बल्कि जुएं का खुला बाजार बन चुका है, जहां कानून का कोई डर नजर नहीं आता है। दिन ढलते ही यहां जुआरियों की भीड़ उमड़ पड़ती है और देर रात तक लाखों रुपये के दांव लगाए जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाहरी जिलों से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं, जिससे यह नेटवर्क और बड़ा होता जा रहा है। सवाल यह है कि जब आम आदमी छोटी गलती पर कार्रवाई का सामना करता है, तो इतनी बड़ी गैरकानूनी गतिविधि पर प्रशासन क्यों मौन है? क्या यह चुप्पी मिलीभगत की ओर इशारा नहीं करती है?

अनिल का नेटवर्क, अवैध कमाई का काला साम्राज्य

सूत्रों की मानें तो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अनिल है, जिसने जुएं के धंधे को संगठित तरीके से फैला रखा है। हर दिन लाखों रुपये की उगाही और लेन-देन इस नेटवर्क के जरिए हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहां प्रवेश से लेकर हर दांव तक एक तय व्यवस्था के तहत संचालित होता है, जिससे साफ है कि यह कोई छोटा-मोटा खेल नहीं बल्कि सुनियोजित अपराध है। अनिल का यह 'साम्राज्य' न सिर्फ कानून को चुनौती दे रहा है बल्कि युवाओं को भी इस दलदल में धकेल रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस पर लगाम कब लगेगी?

कोतवाली पुलिस पर सवाल, चुप्पी या संरक्षण?

इतनी बड़ी गतिविधि कोतवाली थाना क्षेत्र में हो और पुलिस को भनक तक न लगे, यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इससे यह संदेह गहराता जा रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। क्या यह महज लापरवाही है या फिर इस अवैध कारोबार को मौन संरक्षण दिया जा रहा है? अगर पुलिस सच में अनजान है, तो यह उसकी सबसे बड़ी नाकामी है और अगर जानबूझकर चुप है, तो यह कानून के साथ सीधा विश्वासघात है।

आसपास के क्षेत्रों में फैलता जाल, पूरा जिला चपेट में

हर्री-बर्री तक सीमित यह काला खेल अब जिले के अन्य क्षेत्रों में भी अपने पैर पसार रहा है। कोतमा, जैतहरी, पुष्पराजगढ़, राजेंद्रग्राम और अमरकंटक जैसे इलाकों में भी जुएं और सट्टे की गतिविधियों की चर्चा जोरों पर है। यह संकेत है कि यह केवल एक जगह का मामला नहीं, बल्कि पूरे जिले में फैलता हुआ संगठित नेटवर्क है। यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह अपराध की जड़ें और गहरी कर देगा। प्रशासन की ढिलाई अपराधियों के लिए खुला निमंत्रण बनती जा रही है।

प्रशासन की चुप्पी पर जनाक्रोश, कार्रवाई की मांग तेज

लगातार बढ़ती इस अवैध गतिविधि ने आम लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही इस जुएं के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे या कानून व्यवस्था के बिगड़ने का इंतजार कर रहा है? जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। जनता अब जवाब चाहती है कि क्या कानून सबके लिए समान है या फिर कुछ लोगों को खुली छूट दी गई है।

भ्रष्टाचार पर लोकायुक्त का वज्रपात

खाड़ नगर परिषद की घूसखोर महिला इंजीनियर रंगे हाथ गिरफ्तार

शहडोल। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ लोकायुक्त ने अपनी जांच की आंच अब और तेज कर दी है। रीवा लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए नगर परिषद खाड़ (बाणसागर) में पदस्थ उपयंत्री (इंजीनियर) सुधा वर्मा को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश और उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई ने जिले के भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। शर्मनाक बात यह है कि मैडम इंजीनियर ने बच्चों के खेल के मैदान को भी नहीं बख्शा। जानकारी के अनुसार, रीवा निवासी ठेकेदार मेसर्स जेके अग्रवाल ने नगर परिषद खाड़ के खेल मैदान में सीढ़ियों (स्टेयर) के निर्माण का कार्य पूर्ण किया था। नियमतः कार्य पूरा होने के बाद अंतिम देयक (फाइनल बिल) का मूल्यांकन कर भुगतान होना था, लेकिन उपयंत्री सुधा वर्मा ने फाइल को अपने लालच की जंजीरों में जकड़ लिया। आरोप है कि उन्होंने मूल्यांकन करने के बदले 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

लोकायुक्त का बिछाया जाल और ट्रैप हुई मैडम

परेशान ठेकेदार ने भ्रष्टाचार के आगे झुकने के बजाय लोकायुक्त रीवा की शरण ली। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें घूस मांगने की पुष्टि हुई। गुरुवार को जैसे ही सुधा वर्मा ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये पकड़े, पहले से तैनात निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया और उनकी 12 सदस्यीय टीम ने घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा। हाथ धुलाते ही उनके हाथ लाल हो गए, जो उनके काले कारनामों का सबूत बन गए। नगर परिषद कार्यालय के भीतर हुई इस धड़पकड़ से पूरे विभाग में अफरा-तफरी मच गई। कामचोर और भ्रष्ट कर्मचारी अपनी सीटें छोड़कर भागने लगे। टीम ने आरोपी उपयंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है।

लूट के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत निरस्त

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल के न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 142/26 धारा 309(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपियों धर्मेंद्र वंशकार, राज बंसल और राहुल वंशकार की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा हैदराबाद से मजदूरी कर लौट रहे राहगीर से स्मार्ट फोन एवं नगदी रूपये के लूट के मामले में चार आरोपियों धर्मेन्द्र वंशकार निवासी पटौराटोला अनूपपुर, राज वंशकार निवासी पटौराटोला अनूपपुर, भीमसेन उर्फ भिम्मा वंशकार निवासी बुढार और राहुल वंशकार निवासी केशवाही जिला शहडोल को गिरफ्तार करने पर जेल भेजा गया था।

रविवार 08.03.2026 को राकेश कुमार केवट पिता रामगरीब केवट उम्र करीब 34 साल निवासी ग्राम बैहाटोला थाना बिजुरी जिला अनूपपुर का थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि हैदराबाद से मजदूरी करके अपने साथी चमनलाल केवट के साथ ट्रेन से अनूपपुर लौटा था जो घर बिजुरी जाने के लिए ट्रेन विलम्ब होने से पुरानी सब्जी मण्डी में स्थित सार्वजनिक सुलभ शौचालय काम्पलेक्स फ्रेश होने गये थे जहां धर्मेन्द्र वंशकार निवासी पटौराटोला अनूपपुर, राज बंशकार निवासी पटौराटोला अनूपपुर, भीमसेन उर्फ भिम्मा वंशकार निवासी बुढार और राहुल वंशकार निवासी केशवाही शहडोल ने मिलकर बियर की बोतल तोड़कर पेट में अड़ाकर धमकी देते हुए राकेश कुमार केवट का वीवो कंपनी का 19000 रूपये का मोबाईल व 1400 रूपये लूट कर मोटर सायकल से फरार हो गये है। उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 142/26 धारा 309(4), 3(5) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया जाकर टी. आई. कोतवाली निरीक्षक अरविन्द जैन के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक पवन प्रजापति, सहायक उपनिरीक्षक संतोष वर्मा, प्रधान आरक्षक शेख रसीद, प्रधान आरक्षक विनय बैस, आरक्षक अमित यादव, आरक्षक अब्दुल कलीम की पुलिस टीम का गठन कर आरोपियो की पता तलाश कर आरोपी धर्मेन्द्र वंशकार पिता स्व. कंधीलाल वंशकार उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड न. 02 चंदासटोला अनूपपुर, राज वंशकार पिता बृजेश वंशकार उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड न. 02 पटौराटोला अनूपपुर, भीमसेन उर्फ भिम्मा बंशकार पिता स्व. मुन्ना वंशकार उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड न. 15 बुहार थाना बुढार जिला शहडोल और राहुल वंशकार पिता सुरेश वंशकार उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड न. 15 केशवाही थाना जैतपुर जिला शहडोल से लूट में प्रयुक्त मोटर सायकल व लूट की गई वीवो कंपनी का 19000 रूपये कीमती का मोबाईल तथा लूट की राशि 1400 रूपये जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने पर अनूपपुर जिला जेल भेजा गया था। न्यायालय द्वारा आरोपियों का पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड एवं अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपियों के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया गया है।

अभिनेता राजेंद्र गुप्ता ने किया जनकवि धूमिल की कविता "पटकथा" का सफल मंचन

भारतीय जन नाट्य संघ का तीन दिवसीय दसवां राज्य सम्मेलन सम्पन्न
सदाचार के तावीज़ से परसाई के गूंजे बोल

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। वैचारिक रूप से जनप्रतिबद्ध कला और जन संस्कृति का संरक्षक और संवाहक भारतीय जन नाट्य संघ का मध्य प्रदेश का दसवां राज्य सम्मेलन छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट स्थित अनूपपुर के बलराज साहनी सभागृह में संपन्न हुआ। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आये कलाकारों ने, देश-दुनिया के मौजूदा हालात पर गंभीरता से चिंतन-मनन किया और नाट्य विधा की विभिन्न प्रस्तुतियाँ पेश कीं। आयोजन में इप्टा इंदौर इकाई द्वारा हरिशंकर परसाई की कहानी पर आधारित "सदाचार का तावीज़" की नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों को ठहाके लगाने के साथ-साथ सोचने पर विवश कर दिया। यही परसाईजी की लेखनी की विशेषता भी थी। सम्मेलन में अभिनेता राजेंद्र गुप्ता ने जनकवि धूमिल की कविता "पटकथा" का एकल मंचन किया। प्रयागराज (इलाहाबाद) की समानांतर संस्था ने "असमंजस बाबू", इप्टा लखनऊ के कलाकारों ने स्वतंत्रता संग्राम के

100 वर्षों की अवधि को समेटे हुए क्रांतिकारी अशफाक उल्ला की "दास्तान-ए-अशफाक" को किस्सागोई से तथा विवेचना इप्टा जबलपुर ने "72 मील" नाटक के माध्यम से हमारे समाज की विसंगतियों पर चोट की और दर्शकों का मन मोह लिया। राज्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वरिष्ठ रंगकर्मी और इप्टा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष राकेश वेदा (लखनऊ) ने कहा कि वर्तमान समय विश्व के लिए उलझन भरा है। लेखक, रंगकर्मी, पेंटर अपने-अपने माध्यमों से इसे अभिव्यक्त कर रहे हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के राज्य सचिव सत्यम पांडे (भोपाल) ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद यह सम्मेलन एक उपलब्धि है। धर्म के नाम पर राजनीति विस्तारित हो रही है। खगोल विज्ञानी अमिताभ पांडे के अनुसार संस्कृति, प्रकृति और समाज के संबंधों को निर्धारित करती है। मनुष्य ब्रह्मांड में अपनी औक़ात नहीं समझ पा रहा है, यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सम्मेलन में प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें सर्वानुमति से पारित किया गया। सम्मेलन के संगठन सत्र में महासचिव शिवेंद्र शुक्ला ने अपने कार्यकाल की रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट पर विभिन्न इकाइयों से आए प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे।

आगामी वर्षों के लिए कार्यकारिणी का सर्वानुमति से गठन किया गया। संरक्षक मंडल में हिमांशु राय, डॉक्टर विद्या प्रकाश, विजय नामदेव, अध्यक्ष मंडल में विनीत तिवारी, अनिल दुबे, सीमा राजोरिया, हरनाम सिंह, पंकज दीक्षित, विजेंद्र सोनी, अध्यक्ष हरिओम राजोरिया, महासचिव शिवेंद्र शुक्ला, कोषाध्यक्ष नीरज खरे, सचिव मंडल में अभिषेक अंशु, सारिका श्रीवास्तव, हूरबानो सैफी, गुलरेज़ खान, आयुष सोनी, कार्यकारिणी में रामदुलारी शर्मा, पल्लविका पटेल, आदित्य रुसिया, अफरोज़ ख़ान, प्रमोद बागड़ी, मुकेश बिजौले, अशोक दुबे, सचिन वर्मा, बद्रीश पांडे, योगेश कुशवाहा को निर्वाचित घोषित किया गया। सम्मेलन में कलाकारों ने विभिन्न अवसरों पर जनगीतों की प्रस्तुति दी। कार्टून और पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। सम्मेलन के प्रारंभ में आयोजन समिति की अध्यक्ष पल्लविका पटेल, महासचिव लक्ष्मी खेड़िया ने अतिथियों का स्वागत किया। श्रम संगठन एटक के एस.एस. मौर्य के शुभकामना संदेशों का वाचन कोषाध्यक्ष श्रद्धा सोनी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजेंद्र सोनी, गिरीश पटेल, आयुष सोनी, बेथल हायर सेकेंडरी विद्यालय के संचालक नोवेल की सहभागिता विशेष रूप से रही।

सात साल की तपस्या का मिला मीठा फल, वेंकट नगर के अंकित दुबे बने इनकम टैक्स सुपरिटेंडेंट

पिता के संघर्ष और पुत्र के धैर्य ने रचा नया इतिहास, क्षेत्र में खुशी की लहर

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। प्रतिभा और कड़े परिश्रम का संगम जब साथ मिलता है, तो सफलता इतिहास रचती है। वेंकटनगर के रहने वाले अंकित दुबे ने अपनी सात वर्षों की अथक मेहनत से इसे सच कर दिखाया है। हाल ही में अंकित का चयन इनकम टैक्स सुपरिटेंडेंट के प्रतिष्ठित पद पर हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। अंकित दुबे, शासकीय शिक्षक (व्याख्याता) अखिलेश दुबे के ज्येष्ठ पुत्र हैं। एक मध्यमवर्गीय परिवार में पिता के कड़े संघर्ष और त्याग ने अंकित को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अंकित ने अपनी इस बड़ी सफलता का पूरा श्रेय अपने पिता अखिलेश दुबे और माता श्रीमती संतोषी दुबे के चरणों में समर्पित किया है। पत्रकार आदर्श दुबे के भ्राता चाचा जी के ज्येष्ठ पुत्र अंकित की इस उपलब्धि की उन्होंने शुभ कामनाएं दीं। उनके सभी प्रियजनों और समाज के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें बधाई प्रेषित की है। अपनी तैयारी के दिनों को याद करते हुए अंकित ने बताया कि उन्होंने जीवन में एक विशेष सिद्धांत का पालन किया। वे कहते हैं यदि आप निरंतर अध्ययन और एकाग्रता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अंकित ने बताया कि पिछले सात वर्षों के दौरान कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने अपनी अध्ययन प्रक्रिया को कभी टूटने नहीं दिया। उनका मानना है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है।

शिकायतों के बावजूद कार्यवाही शून्य, पीडित ने उठाए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम बरगवां थाना रामनगर निवासी संगम सिंह ने पुलिस महानिरीक्षक, रीवा संभाग को लिखित शिकायत भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के अनुसार, 9 फरवरी 2026 को उनके घर में चोरी की घटना हुई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना स्तर पर दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और न ही किसी प्रकार की ठोस कार्यवाही सामने आई है। पीड़ित का आरोप है कि मामले की जांच के नाम पर केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 10 मार्च 2026 को उन्होंने उच्च अधिकारियों को आवेदन देकर जांच की मांग की थी, जिस पर 7 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश भी जारी हुए थे, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उर्मिला बैगा पति हीरालाल बैगा निवासी ग्राम पोस्ट धरौल पटना जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश द्वारा श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड से मोटरयान लोन मे लिया गया था जिसका वाहन क्रमांक एमपी 65 जेडए 3789 है। जिसका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के नाम से होना है, अत: जिस भी व्यक्ति को आपत्ति दर्ज करानी हो वह सूचना प्रकाशन के एक सप्ताह के अंदर जिला परिवहन कार्यालय अनूपपुर मे उपस्थित होकर दर्ज कराये, उपस्थित न होने की स्थिति मे एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर ने उपयंत्री व सहायक राजस्व निरीक्षक को किया निलंबित

अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा नगरपालिका परिषद कोतमा की उपयंत्री (सिविल) श्रीमती वंदना अवस्थी को शासकीय कार्यों में गंभीर अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के आरोपों के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं सहायक राजस्व निरीक्षक, नगरपालिका परिषद कोतमा योगेंद्रनाथ तिवारी को मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों का उल्लंघन करने तथा उनके पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनो वार्ड क्रमांक-05, बस स्टैंड के समीप नगरपालिका परिषद कोतमा क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक तीन मंजिला इमारत (अग्रवाल लॉज) अचानक धराशायी हो गयी, जिसके मलवे के नीचे दबने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा तीन अन्य व्यक्ति घायल हुए। जारी पत्र में कहा गया है कि घटना के संदर्भ में, यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त इमारत के समीप अवैध खनन से एक बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। बेसमेंट के निर्माण हेतु एक गहरा गड्ढा खोदा गया था और यह गड्ढा लगभग 15 दिन पूर्व से ही मौजूद था। नगर पालिका परिषद कोतमा हेतु श्रीमती वंदना अवस्थी भवन अधिकारी (बिल्डिंग ऑफिसर) के रूप में नामित है तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 7-(1) तथा 7(3) (क) (ख) (ग) के अनुसार निकाय क्षेत्रान्तर्गत अनाधिकृत निर्माण के संबंध में श्रीमती अवस्थी द्वारा त्वरित कार्यवाही की जानी थी, परन्तु उनके द्वारा अग्रवाल लॉज के बगल मे अनाधिकृत रूप से गड्ढा खोदे जाने के संबंध में कोई भी समुचित कार्यवाही नही की गयी, जबकि निकाय के भवन अधिकारी होने के कारण नगर मे अवैध निर्माण कार्य को निरीक्षण कर रोके जाने का दायित्व उपयंत्री (सिविल) नगरपालिका परिषद कोतमा श्रीमती वंदना अवस्थी का था। उपयंत्री (सिविल) नगरपालिका परिषद कोतमा श्रीमती वंदना अवस्थी द्वारा म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 7-(1) तथा 7(3) (क) (ख) (ग) के नियमो का उल्लंघन किया गया है तथा उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण यह घटना घटित हुई। उपयंत्री श्रीमती वंदना अवस्थी का यह कृत्य अनुशासनहीनता एवं कदाचार की श्रेणी मे होने से दण्डनीय है। जिसके कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत श्रीमती वंदना अवस्थी, उपयंत्री, नगरपालिका परिषद कोतमा को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उपयंत्री श्रीमती वंदना अवस्थी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नगरपालिका परिषद कोतमा से प्राप्त होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत लालपुर पूर्व जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (मध्य प्रदेश)
क्र. 01 **निविदा आमंत्रण सूचना** दिनांक : 09/04 / 2026
ग्राम पंचायत लालपुर पूर्व अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री क्रय हेतु इच्छुक एवं पात्र आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।
आवश्यक सामग्री का विवरण : सीमेंट, रेत, गिट्टी, सरिया, ईट इच्छुक फर्म / विक्रेता निर्धारित प्रारूप में अपनी निविदा निम्नानुसार प्रस्तुत करें:
महत्वपूर्ण तिथियां: निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 13/04/2026, समय शाम 4:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि: 14/04/2026, समय सुबह 11:00 बजे
नियम एवं शर्तें : 1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए। 2. फर्म का पंजीयन एवं जीएसटी नंबर अनिवार्य है। 3. निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। 4. ग्राम पंचायत को किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
आवश्यक दस्तावेज :- पंजीयन प्रमाण पत्र, जीएसटी पंजीयन, पैन कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) निविदा संबंधित अधिक जानकारी हेतु कार्यालय ग्राम पंचायत लालपुर पूर्व में कार्यालय समय पर संपर्क करें ।
सचिव / सरपंच ग्राम पंचायत लालपुर पूर्व
जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.)